न्यायालय सहायक कलक्टर एवम् पदेन उपखण्ड अधिकारी, रानी, जिला –पाली राज

पीठासीन अधिकारी : श्री सिद्धार्थ सांदू
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 03 / 2024 GCMS NO 2024 / 27
दायरा तिथि : 08.02.2024
आदेश तिथि : 24/07/24

प्रार्थी :–

दाऊलाल पुत्र वीरदरामजी जाति सांद(वैशणव)
निवासी जीवनकला तहसील रानी जिला पाली (राजस्थान).

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. खीमाराम पुत्र ओटाजी
2. पकाराम पुत्र ओटाजी
3. स्व0 हरजीराम पुत्र ओटाजी के वारिसान:–
   3 / 1 पेपी पत्नी स्व0 हरजीरामजी
   3 / 2 पोनी पुत्री स्व0 हरजीरामजी
   3 / 3 रम्भा पुत्री स्व0 हरजीरामजी
   3 / 4 ओगडराम पुत्र स्व0 हरजीरामजी
   3 / 5 पपुडी पुत्री स्व0 हरजीरामजी
   3 / 6 ममता पुत्री स्व0 हरजीरामजी
   3 / 7 लक्ष्मी पुत्री स्व0 हरजीरामजी जातिगण सिरवी निवासीगण जीवन्दकलां तहसील रानी
4. प्रेमसिंह पुत्र जगतसिंहजी जाति राजपुरोहित
5. भानाराम पुत्र पेमाजी जाति सिरवी
6. श्रवणदास पुत्र भंवरदासजी जाति साद निवासीगण जीवन्दकला तहसील रानी जिला पाली (राज0)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

उपस्थिति :–

1. श्री अमित कुमार श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 05 अनुपस्थित।
3. नायब तहसीलदार रानी पैरोकार सरकार की ओर से।

आदेश   दिनांक 24/07/24

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप मे आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) सशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बोरडी पटवार हल्का जीवन्दकला तहसील रानी के खसरा नंबर 443 रकबा 0.64 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की खातेदारी भूमि ग्राम बोरडी के खसरा नंबर 444 रकबा 0.59 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं अप्रार्थी संख्या 04 से 06 की खातेदारी भूमि ग्राम बोरडी के खसरा नंबर 445 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मे से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शित ट्रैक से 20 फिट चौडाई का रेकॉर्डड रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एव इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार रानी को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार रानी एव भू.अ.निरीक्षक, देवली ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व / 2024 / 1343 दिनांक 26.06.2024 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1. कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तथा दिया जाने वाला रास्ता सबसे निकटतम है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) रानी

2. प्रार्थी को दिया जाने वाला रास्ता संलग्न नक्शे में एबीसीडी मार्क से दर्शाया हुआ है।
3. प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेत खसरा नबर 445 मेंसे रकबा 40 वर्गमीटर एवं खसरा नंबर 444 मेंसे 144 वर्गमीटर रास्ते हेत प्रस्तावित की गयी है।
4. प्रार्थी द्वारा चाहा गया/ दिये जाने वाले रास्ते की लम्बाई एवं चौडाई की गणना संलग्न निरीक्षक भू0अ0 देवली पाबूजी की निरपोर्ट में दर्ज है।
अपनी रिपोर्ट में वर्णित किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बोरडी पटवार हल्का जीवन्दकलां के खसरा नंबर 443 में आवागमन के लिए कोई रेकर्डेड रास्ता नहीं है।

प्रार्थी को दिये जाने वाले रास्ते में प्रभावित खसरावार रिपोर्ट निम्न प्रकार पेश की–

क्र स	नाम ग्राम	खसरा नंबर	कुल रकबा हैक्टेयर मे	किस्म भूमि	रास्ते के लिए प्रभावी क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	डीएलसी प्रति हैक्ट.की दर से देय् प्रतिकर रा‍ि ा की दुगुनी	प्रभावित खातदारान का नाम
1	बोरडी	445	0.44	बा.दो.	10X4=40	1017	1. प्रेमसिह पुत्र जगतसिह हि. 3/7 जाति राजपुरोहित सा. जीवंदकलां 2. भानाराम पुत्र प्रेमाजी हि. 3/7 सीरवी सा.जीवन्दकलां 3. श्रवणदास पुत्र भंवरदास हि. 1/7 जाति साद सा. जीवदकला
2	बोरडी	444	0.59	बा.दो..	36X4=144	3661	1.खीमाराम पुत्र ओटाजी हि. 1/3 सीरवी सा. देह 2.पकाराम पुत्र ओटाजी 1/3 सीरवी सा.देह 3.हरजीराम पुत्र ओटाजी हि. 1/3(फौत) के वारिसान:– (1) पेपी पत्नी हरजीराम 1/21 (2) पोनी पुत्री हरजीराम 1/21 (3) रम्बा पुत्री हरजीराम 1/21 (4) ओगडराम पुत्र हरजीराम 1/21 (5) पपुडी पुत्री स्व0 हरजीराम 1/21 (6) ममता पुत्री हरजीराम 1/21 (7) लक्ष्मी पुत्री हरजीराम 1/21

सहायक कलेक्टर (SDO) रानी

प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण संख्या 2, 3/1, 3/4, 4 बावजुद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से न्यायालय आदेश दिनाक 03.04.2024 से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये। इसके साथ ही शेष अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड डाक से नहीं होने से आदेश 05 नियम 20 के तहत अप्रार्थीगण के नोटिस अखबार में साया होने के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने से न्यायालय आदेश दिनांक 29.04.2024 से अप्रार्थी संख्या 01, 3/2, 3/3, 3/5,3/6, 3/7, 5, 6 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् विदवान् वकील प्रार्थी श्री अमित कुमार श्रीमाली की एक पक्षीय बहस सुनी गई। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत् प्रकरण यह स्वीकार्य तथ्य है कि तहसीलदार, रानी की रिपोर्ट के अनुसार प्राथी की धारित खातेदारी भूमि ग्राम बोरडी पटवार हल्का जीवन्दकला के खसरा नंबर 443 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मे आवागमन के लिये कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, तथा पार्थी को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। तथा इसी कारण से तहसीलदार, रानी द्वारा जांच के पश्चात अपने कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2024/1343 दिनांक 26.06.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया है। धारा 251(ए) के तहत निकटतम रुट से रास्ता दिये जाने के प्रावधान है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस सबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/03/pt. 7 Jaipur Dated : 02.0[illegible].2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.0[illegible].2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्राथी की खातेदारी भूमि ग्राम बोरडी पटवार हल्का जीवन्दकलां के खसरा नंबर 443 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि ग्राम बोरडी के खसरा नंबर 444 व 445 मेंसे तहसीलदार, रानी के कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2024/1343

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

दिनाक 26.06.2024 के संलग्न मौका रिपोर्ट में वर्णित नजरी नक्शा के अनुरूप रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण खातेदारान को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार रानी द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये** जाते है। प्रतिकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, रानी देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

क्र. स.	नाम ग्राम	खसरा नंबर	कुल रकबा हैक्टेयर मे	किस्म भूमि	रास्ते के लिए प्रभावी क्षेत्रफल (वर्गमीटर मे)	डीएलसी प्रति हैक्ट. की दर से देय प्रतिकर राशि की दुगुनी	प्रभावित खातेदारान के नाम
1	बोरडी	445	0.44	बा.दो.	10X4=40	1017	1. प्रेमसिंह पुत्र जगतसिंह हि. 3/7 जाति राजपुरोहित सा. जीवंदकला 2. मानाराम पुत्र प्रेमाजी हि. 3/7 सीरवी सा.जीवन्दकला 3. श्रवणदास पुत्र भंवरदास हि. 1/7 जाति साद सा. जीवदकला
2	बोरडी	444	0.59	बा.दो.	36X4=144	3661	1 खीमाराम पुत्र ओटाजी हि. 1/3 सीरवी सा. देह 2 पकाराम पुत्र ओटाजी 1/3 सीरवी सा. देह 3 हरजीराम पुत्र ओटाजी हि. 1/3(फौत) के वारिसान:- (1) पेपी पत्नी हरजीराम 1/21 (2) पोनी पुत्री हरजीराम 1/21 (3) रम्बा पुत्री हरजीराम 1/21 (4) ओगडराम पुत्र हरजीराम 1/21 (5) पपुडी पुत्री स्व0 हरजीराम 1/21 (6) ममता पुत्री हरजीराम 1/21 (7) लक्ष्मी पुत्री हरजीराम 1/21

तहसीलदार, रानी व निरीक्षक भू0अ0 देवली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा। प्रभावित खातेदारान् द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय रानी मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, रानी प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड मे बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, रानी उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री सिद्धार्थ सान्दू)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रानी
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी
24/07/24

क्रमांक / कोर्ट / 2024 /
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ :-

1. तहसीलदार रानी
2. निरीक्षक भू0अ0 देवली
3. पटवारी हल्का जीवन्दकला
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील रानी
5. आवेदक दाऊलाल पुत्र वीरन्दरामजी जाति साद(वैष्णव) निवासी जीवन्दकला तहसील रानी को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी